सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:– 04/प्रा0पत्र/2022 दायरा दिनांक :–05.01.2022

GCMS ID–2022/137

1. देवलाल आ0 रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी रामहताई (खीण्या) तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश आ0 रामचन्द्र निवासी रामहताई (खीण्या) तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. काली बाई पत्नी रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी रामहताई (खीण्या) तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. सायरा पुत्री रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी रामहताई (खीण्या) तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
4. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :– श्री शम्भूदयाल शर्मा
वकील अप्रार्थी :– स्वयं

दिनांक :– 17/04/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 368 रकबा 2.0315 हैक्टेयर, खसरा संख्या 387 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 388 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा सख्या 392 रकबा 0.1295 हैक्टेयर, खसरा संख्या 445 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, खसरा संख्या 446 रकबा 0.3076 हैक्टेयर, खसरा संख्या 447 रकबा 0.3076 हैक्टेयर, कुल किता 7 कुल रकबा 3.3914 हैक्टेयर वाके ग्राम बन्धा का खेडा पटवार मण्डल खेरखटा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। भूमि की जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी व अप्रार्थी 1 लगायत 3 के पिता व पति श्री रामचन्द्र जी उक्त भूमि के सहखातेदार थे। रामचन्द्र जी का गत 20–25 वर्ष पूर्व देहान्त हो गया है। रामचन्द्र जी का पीढी

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

वृक्ष निम्न है :–1. जगदीश पुत्र 2. देवलाल पुत्र 3. काली बाई पत्नी 4. सायर बाई पुत्री रामचन्द्र जी मृत्यु के बाद विरास्त से प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि की जमाबंदी में रामचन्द्र जी के वारिसान का नाम दर्ज किया गया, जिसमें प्रार्थी देवलाल के बजाय तनखाराम दर्ज कर दिया। उक्त इन्द्राज अभिलेख की त्रृटि व सहवन वश व मानवीय भूल से हुआ है। प्रार्थी को गांव में तनखाराम के नाम से भी जानते है लेकिन प्रार्थी का वास्वतिक नाम देवलाल है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, जनाआधार कार्ड, आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम देवलाल पिता रामचन्द्र दर्ज है। केवल भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम तनखाराम के रूप में इन्द्राज किया हुआ जो अवैध, अशुद्ध व गलत इन्द्राज होने से निरस्त किया जाकर तनखाराम के स्थान पर देवलाल दर्ज किया जाना आवश्यक है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम तनखाराम दर्ज किया हुआ होने व प्रार्थी के पहचाने के सभी सरकारी दस्तावेजात में देवलाल अंकित होने से प्रार्थी उक्त भूमि पर सरकार की योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रहा है और न ही भूमि पर बैंक से ऋण वगेरा के0सी0सी0 प्राप्त कर पा रहा है। उक्त इन्द्राज से प्रार्थी पीडित व आहत है जिसको दुरूस्त करवाने का प्रार्थी को अधिकार है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आवेदन किया लेकिन जमाबंदी में व पहचान के दस्तावेजात में अलग अलग नाम होने के कारण प्रार्थी का आवेदन स्वीकार नहीं किया गया तब प्रार्थी ने दिनांक 14.12.2021 को तहसीलदार हिण्डोली के समक्ष नाम के उक्त इन्द्राज को दुरूस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश बिना नाम के उक्त इन्द्राज को दुरूस्त करने से मना कर दिया। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 1 में वर्णित भूमि में तनखाराम पिता रामचन्द्र के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर देवलाल पिता रामचन्द्र दर्ज करवावे एवं गलत इन्द्राज को विलोपित करवाये। भूमि ग्राम बन्धा का खेडा पटवार मण्डल खेरखटा तहसील हिण्डोली में स्थित होने से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। उक्त भूमि के अन्य सहखातेदारान का उक्त इन्द्राज में कोई हित निहित नहीं होने व उक्त संशोधन से अन्य सहखातेदान के हित प्रभावित नही होने से उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं भूमिधारा राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार हिण्डोली को अप्रार्थी संख्या 4 व रामचन्द्र के वारिसान को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 बनाकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क व तलबाना पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खसरा संख्या 368 रकबा 2.0315 हैक्टेयर, खसरा संख्या

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

387 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 388 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा सख्या 392 रकबा 0.1295 हैक्टेयर, खसरा संख्या 445 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, खसरा संख्या 446 रकबा 0.3076 हैक्टेयर, खसरा संख्या 447 रकबा 0.3076 हैक्टेयर, कुल किता 7 कुल रकबा 3.3914 हैक्टेयर वाके ग्राम बन्धा का खेडा पटवार मण्डल खेरखटा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में दर्ज तनखाराम पिता रामचन्द्र के इन्द्राज को दुरूस्त कर तनखाराम आ0 रामचन्द्र के स्थान पर देवलाल आ0 रामचन्द्र दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने जबाव पेश कर प्रार्थी का सही नाम तनखाराम पिता रामचन्द्र के स्थान पर देवलाल पिता रामचन्द्र दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है।

प्रकरण में तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :– राजस्व/24/123 दिनांक :–23.01.2024 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम बन्धा का खेडा की भूमि खाता संख्या 23 में दर्ज अपना तनखाराम को शुद्ध करवाकर देवलाल करवाना चाहता है। जिसके संबंध में मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियो/मौतबिरान व्यक्तियों द्वारा उक्त खाता नम्बर में दर्ज सहखातेदार तनखाराम व देवलाल एक ही व्यक्ति के नाम है। जिसको तनखाराम के स्थान पर देवलाल शुद्ध दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम देवलाल पुत्र रामचन्द्र है जिन्हे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थी पक्षकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

जन–आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, खीण्या ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र पेश किए है जिसमें प्रार्थी का नाम देवलाल पुत्र रामचन्द्र दर्ज है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम बन्धा का खेडा पटवार मण्डल खीण्या के खाता संख्या 23 में दर्ज सहखातेदार तनखाराम पुत्र रामचन्द्र के स्थान पर देवलाल पुत्र रामचन्द्र शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 17.04.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

17/04/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446